Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LIV (54), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध: कारण एवं निराकरण

रविना कोचे* डॉ. पूजा तिवारी**

*** शोधार्थी, शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ, जिला छिंदवाड़ा, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.) भारत**
**** विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ,जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) भारत**

प्रस्तावना – महिलाएँ समाज की रीढ़ हैं, और उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है।

महिलाओं के बिना जीवन अधूरा है, और उनके अधिकारों की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है।

महिलाओं के प्रति अपराध एक गहरी समस्या है, जो समाज के हर वर्ग में व्याप्त है। बलात्कार, छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा जैसी घटनाएँ महिलाओं के आत्मविश्वास को तोड़ती हैं। और उनके अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। हमें महिलाओं के प्रति अपराध के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और उन्हें सुरक्षा और सम्मान दिलाने के लिए करना चाहिए। महिलाओं के बिना जीवन अधूरा है, और उनके अधिकारों की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है।

भारतीय समाज की नैतिक और सामाजिक संरचना पर भी नकारात्मक प्रभावित डालते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन अपराधों के पीछे पितृसत्तात्मक व्यवस्था, लैंगिक असमानता, अशिक्षा, गरीबी और सामाजिक कुरीतियाँ प्रमुख कारण हैं। इन अपराधों का प्रभाव महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे उनमें भय, असुरक्षा, आत्मविश्वास की कमी और सामाजिक अलगाव जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा, यह समस्या परिवार और समाज के समग्र विकास को बाधित करती है। महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम के लिए सामाजिक जागरूकता बढ़ाना, महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाना भी अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही सरकार से बनाए गए कानूनों का कठोरता से पालन, अपराधियों को सख्त सजा और पुलिस व न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना भी जरूरी है। समाज के सभी वर्गों–परिवार, विद्यालय, सामाजिक संस्थाएँ और सरकार–को मिलकर महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता की भावना विकसित करनी होगी। जब समाज में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण, समान अवसर और सम्मान मिलेगा, तभी एक स्वस्थ, न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज का निर्माण संभव हो सकेगा।

भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में अपराध की समस्या कई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से जुड़ी हुई है। इसलिए अपराधों के प्रभाव को समझना और उसके निवारण के उपायों का अध्ययन करना आवश्यक है।

इस शोध पत्र में मुख्यत: महिलाओं के प्रति अपराधों के प्रभाव एवं निवारण का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

शब्द कुंजी – अपराध, महिला, समाज,सोशल मीडिया, अपराधी ।

अपराध को कम करने के कुछ उपाय निम्न हैं : –

- **शिक्षा का प्रसार –** अच्छी शिक्षा से लोगों में क्या अच्छा और क्या गलत की समझ बढ़ती है। पढ़े–लिखे लोग अपराध की ओर कम झुकते हैं, इसलिए शिक्षा का स्तर बढ़ाना जरूरी है।
- **रोजगार के अवसर बढ़ाना –** बेरोजगारी कई बार लोगों को अपराध की ओर धकेल देती है। यदि सरकार और समाज अधिक रोजगार के अवसर पैदा करें तो अपराध कम हो सकता है।
- **कड़े कानून और सख्त सजा का प्रावधान –** कानून जब सख्त होते हैं तब अपराधियों को जल्दी से सजा मिलती है, तो अपराध करने से डरते हैं।
- **पुलिस व्यवस्था मजबूत करना –** पुलिस की संख्या, प्रशिक्षण और तकनीक जैसे बबजअ साइबर मॉनिटरिंग बढ़ाने से अपराध पर नियंत्रण रखा जा सकता है।
- **समाज में नैतिक मूल्यों का विकास –** परिवार और समाज में ईमानदारी, सहानुभूति और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए।
- **नशे पर नियंत्रण–** शराब और नशे की वजह से कई अपराध होते हैं। नशे पर नियंत्रण करने से अपराध कम हो सकते हैं।
- **जनजागरूकता और सामुदायिक भागीदारी –** लोगों को कानून और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करना तथा पड़ोस की निगरानी बढ़ाना भी जरूरी है।

साहित्य समीक्षा

खंडेला नरसिंह जी (2004) – अपने शोध में महिला उत्पीड़न पर काम किया है, जिसमें उन्होंने महिलाओं के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया है। उनके शोध में महिलाओं के अधिकारों, उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार, और उन्हें मिलने वाले न्याय के बारे में जानकारी शामिल हैं। उन्होंने अपने शोध में यह भी बताया है कि महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं और समाज में महिलाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है।

सुरभि आव्रहा (2009) – अपने शोध में बताया कि ग्रामीण विवाहित महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा ने अपने अध्ययन के कुल 50 दंपत्ति पाया कि 35 प्रतिशत ग्रामीण दंपत्ति ने घरेलू हिंसा स्वीकार की है एवं 22 से 40 वर्ष की आयु दंपत्ति बीच मारपीट ज्यादा देखी गई है।

अनिता पटेल (2001) – अपने शोध में बताया कि महिला उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की मानसिक स्थिति व उनकी संतान के विकास पर पड़ने

वाले नकारात्मक प्रभाव का वर्णन किया गया है। इस शोध पत्र में स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार से परिवार के सदस्य चाहे वह महिला हो या पुरुष दोनों ही महिला अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। इस शोध के निष्कर्ष के आधार पर स्पष्ट किया गया कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में जो गालियाँ देना, मार-पीट करना होता है। उसका दुष्प्रभाव बच्चों के व्यवहार पर होता है। और बच्चे भी उसी भांति व्यवहार अपने खिलौनों या सदस्य से करते हैं।

गुप्त अनुजा (2001) – अपने शोध में बताया कि महिलाओं के साथ बचपन और किशोरावस्था में यौन शोषण एक समस्या न केवल व्यक्तिगत है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। यौन शोषण के कारण महिलाओं को अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ, आत्मसम्मान की कमी और सामाजिक संबंधों में कठिनाइयाँ।

अपराध के कारण कुछ निम्न प्रकार के नीचे दिए गए हैं –

1. **शराब और नशे की लत –** जब पति शराब या अन्य नशे का सेवन करता है तो गुस्सा, हिंसा और नियंत्रण खोने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे घरेलू हिंसा की घटनाएँ बढ़ती हैं।
2. **शिक्षा और जागरूकता की कमी –** कई जगहों पर अभी भी महिलाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी कम होती है। इससे पति महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं।
3. **पुरुष प्रधान की मानसिकता –** कुछ समाजों में अभी यह सोच है कि पति का अधिकार ज्यादा है और पत्नी को दबाकर रखना चाहिए, जिससे अत्याचार बढ़ता है।
4. **आर्थिक तनाव और बेरोजगारी –** पैसे की कमी, नौकरी का तनाव या बेरोजगारी घर में झगड़े और हिंसा का कारण बन सकते हैं।
5. **दहेज और पारिवारिक दबाव –** दहेज की मांग या परिवार के दबाव के कारण भी कई बार महिलाओं पर अत्याचार या अपराध होते हैं।
6. **गुस्सा और मानसिक समस्याएँ –** कुछ लोगों में क्रोध नियंत्रण की समस्या या मानसिक तनाव भी हिंसक व्यवहार को बढ़ा सकता है।
7. **कानून का डर कम होना –** जब लोगों को लगता है कि उन्हें सजा नहीं मिलेगी या कानून सख्ती से लागू नहीं होता तो वे अपराध करने से नहीं डरते।

शोध पद्धति – यह अध्ययन समाजशास्त्रीय अध्ययन दृष्टिकोण पर आधारित शोध पत्र है। जिसमें महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध कारण एवं निराकरण का अध्ययन सामाजिक समर्थन का विश्लेषण किया गया है। जिसमें द्वितीयक आंकड़ों जैसे विषय वस्तु से संबंधित पुस्तिकाओं का अध्ययन कर समाचार पत्रों पत्रिकाओं तथा रिपोर्ट्स आदि से तथ्य एकत्रित किया गया है।

इस शोध पत्र को द्वितीयक आंकड़ों के द्वारा तैयार किया गया है।

निष्कर्ष – प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक महिलाओं को दासता, रूढ़ियों, हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। कभी धर्म के नाम पर कभी आधुनिकता के नाम पर महिलाओं को शोषण का सामना करना पड़ता है। जमाना कभी औरतों के लिए नहीं बदलता है ऐसा प्रतीत होता है। इस शोध प्रबंध के माध्यम से महिलाओं के विचारों और वो समाज से अपेक्षा रखती हैं। और महिला अपराधों की सूचना शासन और कानून तक पहुंचाने की सजगता और जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। क्योंकि आज भी महिलाएँ अपने साथ हुए अत्याचारों को छुपा लेती हैं उन्हें जागरूक किया जाना है।

अपराध को कम करने के लिए शिक्षा, रोजगार, सख्त कानून, मजबूत पुलिस और समाज में अच्छे संस्कार इन सभी का मिलकर काम करना जरूरी है।

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध समाज के लिए एक गंभीर और चिंताजनक समस्या है। यह समस्या अशिक्षा, गलत मानसिकता, नशे की लत, सामाजिक असमानता और कानून के कमजोर पालन के कारण बढ़ती है। इसे रोकने के लिए समाज में जागरूकता बढ़ाना, महिलाओं को शिक्षा और अधिकार देना, सख्त कानून लागू करना और पुरुष-महिला समानता की भावना को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। जब समाज के सभी लोग मिलकर महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए काम करेंगे, तभी एक सुरक्षित और सभ्य समाज का निर्माण हो सकेगा।

इस शोध पत्र का मुख्य केंद्रबिंदु है यह शोध पत्र समाज के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा ऐसी आशा करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पटेल अनिता (2001) महिला उत्पीड़न का सिलसिला,शोध-पत्र वॉल्यूम।
2. खंडेला नरसिंह जी (2004) महिला उत्पीड़न, जयपुर प्रकाशन।
3. आग्रहा सुरभि(2009)ग्रामीण विवाहित महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, दिल्ली प्रकाशन।
4. गुप्त अनुजा (2001) महिलाओं के साथ बचपन और किशोरावस्था में यौन शोषण एक समस्या, सीबीएस प्रकाशन।

****